न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2022 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती पपलीबाई पुत्री श्री कालू कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती लीलाबाई पुत्री श्री कालू कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चन्दाबाई पुत्री श्री कालू कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती चुन्नीबाई बेवा श्री कालू कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री गणेशलाल पिता नारायणलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री जगदीश पिता नारायणलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री रविन्द्र पिता नारायणलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती छगनीबाई बेवा नारायणलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मंजू पुत्री नारायणलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती गीता पुत्री नारायणलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री खूबीलाल पिता केसूलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री बाबूलाल पिता केसूलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती शान्ताबाई बेवा केसूलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती अन्नु पुत्री केसूलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:08 IST
Reason: SelfAttested

11. श्रीमती वनिता पुत्री केसूलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्री कन्हैयालाल पिता स्व. धूलचन्द तेली, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्री सुरेश पिता स्व. धूलचन्द तेली, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्री इन्द्रमल पिता स्व. धूलचन्द तेली, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
15. श्री रामचन्द्र पिता स्व. धूलचन्द तेली, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती पारसीबाई पत्नी स्व. धूलचन्द तेली, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय
उप जिला कलक्टर, गिर्वा दिनांक
22–03–1999 प्रकरण सं. 115/99

उपस्थित :– 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री नरेन्द्र चौधरी अभिभाषक रे.सं. 1 से 11
3. घनश्याम पालीवाल अभिभाषक रे.सं. 1 व 2

–––::–––

निर्णय दिनांक 26–05–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22–03–1999 को मौजा रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा के खाता नम्बर 24, 25, 26, 36, 37, 38 रकबा क्रमशः 1.9100, 0.0250, 0.2950, 1.1800, 0.4400, 0.1400 भूमि कालू पिता नाना के साथ नारायणलाल, केसूलाल पिता नानालाल के नाम दर्ज करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर कालूलाल के वारिसान द्वारा इस न्यायालय मे यह अपील दिनांक 14–03–2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 की ओर से उनके अधिवक्ता हुए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:08 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 21–12–2021 को रेस्पोडेन्टगण मौके पर आए तथा विवादित जमीन मे अपना हिस्सा होने का कथन किया जिस पर अपीलान्टगण ने न्यायालय से नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नही किया गया है। अतः देरी को क्षमा कर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने कथन के सर्मथन मे न्यायिक नजीरे आर.आर.डी. 1992 पेज 239, आर.आर.डी. 1992 पेज 339, आर.आर.डी. 1992 पेज 17, सी.टी. 2018 (2) पेज 175, सी.टी. 2010 (2) पेज 511 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के पिता कालू की सहमति से एवं उनकी उपस्थित मे निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्टगण ने दिनांक 15–09–2020 को उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के न्यायालय मे घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी शुरू से ही थी फिर भी अपील दिनांक 14–03–2022 को प्रस्तुत की गई है, जो स्पष्टताः मयाद बाहर होने से इसी आधार पर खारिज कि जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने कथन के सर्मथन मे न्यायिक नजीरे डी.एन.जे.(राज.) 2023 (2) पेज 583, डी.एन.जे.(राज.) 2018 (3) पेज 930, डी.एन.जे.(राज.) 2019 (3) पेज 1252, आर.आर.टी. 2018–19 (SUPP.) पेज 72, आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 202, डी.एन.जे.(राज.) 2016 (1) पेज 201, डी.एन.जे.(राज.) 2017 (SC) पेज 1051 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22–03–1999 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय मे समयावधि 60 दिवस मे अर्थात दिनांक 21–05–1999 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिये थी, लेकिन अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 14–03–2022 को इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की हैं जो करीब 22 वर्ष 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं देरी का जो कारण अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:08 IST
Reason: SelfAttested

किया है वह इतने वर्ष विलम्ब के लिए उचित एवं पर्याप्त कारण नही माना जा सकता है। जैसाकि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि देरी से प्रस्तुत अपील मे उचित एवं पर्याप्त कारण बताना आवश्यक हैं। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद मे अपीलान्टगण के पिता कालू कुम्हार के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति मे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि इन्हीं आराजियात बाब्त अपीलान्टगण ने दिनांक 15–09–2020 को रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2020 मे तो अपीलान्टगण को उक्त निर्णय की जानकारी आवश्यक रूप से थी। फिर भी उनके द्वारा वर्ष 2022 मे यह अपील प्रस्तुत कि गई है। जो स्पष्टता मयाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–03–1999 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 26–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:08 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती पपलीबाई पुत्री श्री कालू कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.) व अन्य	**बनाम**	श्री गणेश लाल पिता श्री नारायणलाल कुम्हार, निवासी रावलियाकला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.) व अन्य

अपील नं....19/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उप जिला कलक्टर**.............
.......**गिर्वा**........... मुकाम................मुवर्खे..............22...........माह........03....................1999......

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........26.....माह......05.......सन् 2025 रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा** ....मिनजानिब अपीलान्ट व.................**श्री नरेन्द्र चौधरी** ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 22–03–1999 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......26.........माह.........05.........2025 को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:08 IST
Reason: SelfAttested